कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक– 371 /OFC(BSNL)–समेकित/22790/2016, दिनांक, लखनऊ, अगस्त 09 , 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।

विषयः भारत संचार निगम लि0 द्वारा मुरादाबाद में मुरादाबाद–हरिद्वार मार्ग (एस0एच0–49) के किमी0 30.90 से किमी0 36.00 तक 5.1 किमी0 लम्बाई में ओ0एफ0सी0 डालने हेतु 0.153 हे0 संरक्षित वन भूमि तथा बिजनौर में किमी0 36 से 62.60 (महाराणा प्रताप चौक) से दूरभाष केन्द्र धामपुर (दूरी 200 मी0) कुल 26.800 किमी0 लम्बाई में 0.804 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 0.957 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भः आपका पत्रांक–387/14–1, दिनांक 02.08.2017

महोदय,

विषयगत प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर से कतिपय सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– प्रस्ताव के साथ किसी भी अभिलेख पर ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ए–3 के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं।

2– प्रस्ताव के साथ किसी भी अभिलेख पर ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ए–3 के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी की पावर आफ अटार्नी संलग्न नहीं हैं। प्रस्ताव के पृष्ठ–34 पर संलग्न प्राधिकार पत्र सुसंगत एवं अनुमन्य नहीं है।

3– प्रस्तावित वनभूमि के स्वामित्व वाले विभाग की अनापत्ति संलग्न नहीं है। सत्यापित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

प्रश्नगत प्रस्ताव में प्रभागीय निदेशक, बिजनौर का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अतः **इस प्रस्ताव हेतु प्रभागीय निदेशक, बिजनौर को नोडल अधिकारी नागित किया जाता है। वे संशोधित प्रस्ताव अपने वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को तीन दिन में उपलब्ध करायेंगे।** उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियॉं इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण कर प्रस्ताव तीन दिन के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

9/8

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 371 / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, **बिजनौर** को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, बिजनौर को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि श्री जयराम सिंह, डिवीजनल इंजीनियर, टेलीकॉम प्रोजेक्ट, डी–13/15 देव विहार कालोनी, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वांछित सूचना एवं अभिलेख सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9/8

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

OFC